XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 1147–एक/15 जिला – उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.7.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग0 826–एक/14 में पारित आदेश दिनांक 19–02–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । आवेदक सूचित हों । सदस्य	

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मोतीमहल, ग्वालियर म0प्र0

रिव्यू प्रकरण कमांकः /2015

रिव्यू 1147-I-15

श्री डी० के० गुप्ता एडवोकेट द्वारा आज दि. 21-5-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-5-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, उज्जैन
——— आवेदक

बनाम

प्रकाश चन्द्र पिता पारसमल (पारसमल पिता नेमीचन्द्र आदि) निवासी बजाज खाना जावरा जिला रतलाम म0प्र0 द्वारा मुख्त्यार आम अवि. इन्फास्ट्रक्चर्स प्रायवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर गिरिश गुप्ता निवासी बी–407, यशराज रेजीडेन्सी, जिला इन्दौर म0प्र0
——— अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता वास्ते पुर्नविलोकन किये जाने बावत ।

DSh 21/5/15

माननीय महोदय,

आवेदक आपके न्यायालय का प्रकरण कमांक निगरानी 826-I/2014 पक्षकार प्रकाश चन्द्र पिता पारसमल विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन में पारित आदेश दिनांक 19–2–2015 में मध्य प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 51 के तहत पुर्नविलोकन निम्न आधारों पर किये जाने हेतु निवेदन है :–

1– यहकि, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक प्रकाश चन्द्र द्वारा संहिता की धारा 172 के तहत 5 पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम पाडल्याकला, नागदा तहसील जिला उज्जैन स्थित अपने भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि के कृषि भिन्न आशय में आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि परिवर्तन की अनुज्ञा दिये जाने का अनुरोध किया गया । उक्त आवेदनों पर से पृथक पृथक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुविभागीय ने अधीक्षक, भू–अभिलेख से प्रतिवेदन चाहा गया । अधीक्षक, भू–अभिलेख ने दिनांक 13–4–2011 को संयुक्त प्रतिवेदन सभी पांच प्रकरणों के सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त प्रतिवेदन के आधार पर आदेश दिनांक 1–7–2011 द्वारा आवेदक को संहिता की धारा 172 (1) के तहत प्रश्नाधीन भूमि के कृषि भिन्न आशय में आवासीय भूमि परिवर्तन की अनुज्ञा शर्तो के साथ प्रदान की । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने अवधि बाह्य होने से निरस्त की है । अपर आयुक्त के